समग्र शिक्षा
Samagra Shiksha

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय एवं तृतीय तल , ब्लॉक–5, डॉ0 राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17
फोन नं: 0141–2715560 email- rajsmsaied@gmail.com

क्रमांक : रास्कूशिप / जय / आईईडी / 2025–26 / Transport Allowance/ दिनांक : यथा हस्ताक्षर

दिशा–निर्देश
(सत्र 2025–26)

विशेष आवश्यकता वाले छात्र–छात्राओं हेतु परिवहन भत्ता (Transport Allowance) (IEd-001-Samagra- Transport)

अवधारणा एवं उद्देश्य :–

राज्य में समग्र शिक्षा के समावेशी शिक्षा अन्तर्गत कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले छात्र–छात्राओं (CwSN) का मुख्यधारा में समायोजन, उनकी अन्तर्निहित योग्यताओं को बढाकर उत्साहवर्धन करने, शैक्षिक एवं थैरेपेटिक संबलन प्रदान करने, भेदभाव को दूर कर समाज में इनके प्रति सकारात्मक सोच का निर्माण तथा अधिकारों एवं क्षमताओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जाता है। वार्षिक कार्य योजना सत्र 2025–26 के अन्तर्गत विशेष आवश्यकता वाले छात्र–छात्राओं का नामांकन, ठहराव एवं शैक्षणिक गुणवत्ता अभिवृद्धि हेतु राज्य के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत आवश्यकता वाले छात्र–छात्राओं को विद्यालय आवागमन हेतु परिवहन भत्ता देय होता है। सत्र 2025–26 में परिवहन भत्ता उपलब्ध कराने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही संपादित की जानी है:–

- **श्रेणी :–** Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 अन्तर्गत परिभाषित 21 श्रेणियों की विकलांगता यथा अस्थिदोष, दृष्टिदोष, श्रवणदोष, मानसिक विमन्दिता, सेरेब्रल पाल्सी तथा ऑटिज्म इत्यादि से प्रभावित राजकीय विद्यालयों के कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत CwSN छात्र–छात्राओं को ट्रांसपोर्ट भत्ता देय है। Under section 16 (viii) of Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 provision is made, "to provide transportation facilities to the children with disabilities and also the attendant of the children with disabilities having high support needs." Transport allowance helps children with special needs in reaching schools.
- **पात्रता :–** Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 अन्तर्गत परिभाषित 21 श्रेणियों की विकलांगता यथा अस्थि, दृष्टिदोष, श्रवणदोष, मानसिक विमन्दित व सेरेब्रल पाल्सी तथा ऑटिज्म इत्यादि से प्रभावित श्रेणी के 40 प्रतिशत या इससे अधिक दोष से प्रभावित छात्र–छात्राओं जिन्हें सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किया गया है।
- **अवधि :– 10 माह के लिए**
- **राशि :– ₹300 /–प्रति माह**

RajKaj Ref No.: 15481245

- परिवहन भत्ता प्रदान दिये जाने हेतु समस्त जिला परियोजना समन्वयक माह जुलाई, 2025 में जिले के समस्त ब्लॉक के सीबीईओ के माध्यम से पीईईओ/संस्था प्रधानों से संलग्न प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित करेंगे।
- प्राप्त आवेदन पत्रों मे से चयन हेतु निम्नानुसार कमेटी गठित की जाएगी।

1.	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक	–	अध्यक्ष
2.	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक	–	सदस्य सचिव
3.	सहायक परियोजना समन्वयक/कार्यक्रम अधिकारी (IED)	–	सदस्य
4.	सहायक लेखाधिकारी	–	सदस्य
5.	संदर्भ व्यक्ति (CwSN) जिला मुख्यालय	–	सदस्य

- उक्त कमेटी समस्त आवेदन पत्रों की जाँच करते हुए समस्त पात्र छात्र–छात्राओं का चयन कर परिवहन भत्ता जारी किए जाने की अनुशंषा करेगी।
- **समय पर राशि की उपलब्धता सुनिश्चित करने बाबत चयनित छात्र–छात्राओं हेतु 10 माह की निर्धारित राशि जिला परियोजना समन्वयक द्वारा निम्नानुसार संबंधित SMC/SDMC को विस्तृत व स्पष्ट निर्देशों के साथ अग्रिम भिजवानी होगी, जिससे छात्र–छात्राओं को प्रतिमाह राशि प्राप्त हो सके।**

माह का नाम जिसमें एसएमसी/एसडीएमसी को राशि जारी करनी है।	**माह जिनके लिए एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा परिवहन भत्ते का भुगतान किया जाना है।**
जुलाई, 2025	**जुलाई, अगस्त, सितम्बर (3 माह)**
अक्टूबर, 2025	**अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर (3 माह)**
जनवरी, 2026	**जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रेल (4 माह)**

- **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (समाज कल्याण) अथवा अन्य किसी योजना से जिन छात्र–छात्राओं को परिहवन भत्ता** (Transport Allowance) **की राशि प्राप्त हो रही है, उन छात्र–छात्राओं को यह राशि देय नहीं होगी।**
- जिलों को आवंटित लक्ष्यानुसार उक्त राशि का भुगतान जिले के **समावेशी शिक्षा की उपमद** "Transport Allowance" **आंवटित राशि में से व्यय किया जायेगा।**
- उक्त भत्तों का भुगतान संबंधित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा छात्र–छात्राओं की न्यूनतम 40 प्रतिशत उपस्थिति प्रमाणित करने के पश्चात् किया जाएगा जिसकी सूचना सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक एवं अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक को प्रेषित की जायेगी।

<u>विशेष बिन्दु :–</u>

- **जिला स्तर से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जिला कलक्टर, जिला परिषद्, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं महिला बाल विकास विभाग आदि विभागों के नोटिस बोर्ड पर सूचना लगाई जाकर व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये जिससे अधिकाधिक पात्र छात्र–छात्राओं को लाभ मिल सके।**

RajKaj Ref No.: 15481245

- जिले के पात्र सभी विशेष आवश्यकता वाले छात्र–छात्राओं को परिवहन भत्ता दिया जाना है परन्तु यदि बजट की अनुपलब्धता के कारण सभी पात्र छात्र–छात्राओं को भत्ता दिया जाना संभव नही हो पाता है तो समावेशी शिक्षा की किसी भी गतिविधि में से बचत की राशि से इन्हें भत्ता दिये जाने हेतु Re-appropriation के प्रस्ताव जिला परियोजना समन्वयक अविलम्ब परिषद् कार्यालय के समावेशी अनुभाग को भिजवाएं।
- परिवहन भत्ता मद में जिलें को आंवटित राशि की सीमा में भौतिक लक्ष्य से अधिक बच्चों को लाभान्वित किया जा सकेगा। वित्तीय लक्ष्यों में कोई परिवर्तन नहीं हो सकेगा।
- परिवहन भत्ता का भुगतान परिपत्र में दर्शाये अनुसार प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा उपस्थिति आदि प्रमाणित कर निर्धारित प्रक्रिया सम्पादित करते हुए संबंधित छात्र–छात्रा के बैंक खाते में/ गंभीर दोष वाले बच्चों के माता–पिता/अभिभावक तथा छात्र–छात्रा के संयुक्त खाते में एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा जमा करवाया जायेगा।
- नवीन पात्र विशेष आवश्यकता वाले छात्र–छात्राओं के जीरो बैलेंस बैंक खाते सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा प्राथमिकता के आधार पर खुलवाये जायेंगे तथा सम्बंधित छात्र–छात्राओं के **बैंक खाते में** परिवहन भत्ता जमा कराने के उपरान्त उसी माह में एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा अनिवार्य रूप से उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित पीईईओ/सीबीईओ तथा सीबीईओ द्वारा सीडीईओ पदेन डीपीसी को प्रेषित किया जायेगा।
- परिवहन भत्ता हेतु कोई न्यूनतम दूरी की बाध्यता नहीं है।
- प्रतिमाह किये जाने वाले भुगतान की जानकारी प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा एसएमसी/एसडीएमसी सदस्यों को सूचित कर पूर्ण पारदर्शी तरीके से सम्पन्न कराई जायेगी।
- **पात्र CwSN छात्र–छात्राओं की तथा उनको देय परिवहन भत्ते की सूचना PRABANDH Portal पर अनिवार्य रूप से तिमाही जारी करते ही अपडेट करें। छात्र–छात्राओं की सूचना अपडेट करने के बाद परिवहन भत्ते वाला ऑप्शन भी आवश्यक रूप से क्लिक करें अन्यथा दिये जाने वाले परिवहन भत्ते की प्रगति पोर्टल पर प्रदर्शित नही होगी।**
- **पात्र CwSN छात्र–छात्राओं के भत्ते की राशि स्वीकृत होने के उपरान्त राशि से वंचित रहने की स्थिति में संबंधित पीईईओ/संस्था प्रधान व्यक्तिशः जिम्मेदार होंगे।**
- **छात्र–छात्राओं की सूचना अपडेट करने के बाद परिवहन भत्ते वाला ऑप्शन भी आवश्यक रूप से क्लिक करें अन्यथा दिये जाने वाले परिवहन भत्ते की प्रगति पोर्टल पर प्रदर्शित नही होगी।**
- शाला दर्पण पर CwSN विद्यार्थियों को भत्ते उपलब्ध कराने के संबंध में मॉड्यूल का निर्माण किया गया है।
- विद्यालय स्तर/पीईईओ स्तर से मॉड्यूल में CwSN विद्यार्थियों की मदवार/भत्तेवार एन्ट्री की जायेगी

मॉनिटरिंग क्रियाविधि (Monitoring Mechanism) :-

- CwSN विद्यार्थियों को हस्तान्तरित भत्ते की राशि की एन्ट्री विद्यालय/पीईईओ स्तर से शाला दर्पण पर बने मॉड्यूल में की जायेगी।
- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक/अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक द्वारा शाला दर्पण पर पीईईओ द्वारा की गई प्रविष्टि को प्रत्येक माह देखा जायेगा। कम प्रविष्टि होने पर पीईईओ/ब्लॉक से शीघ्र राशि हस्तान्तरित करवाया जाकर इसकी प्रभावी मॉनिटरिंग की जायेगी।
- समस्त जिलों द्वारा शाला दर्पण पर किए गए प्रविष्टि का राज्य स्तर पर प्रतिमाह की 10 तारीख तक अवलोकन किया जायेगा।

RajKaj Ref No.: 15481245

- अवलोकन में कम प्रविष्टि वाले जिले को उक्त संबंध में अवगत कराया जायेगा व अपेक्षित प्रगति न होने की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

➢ **<u>लेखा स्तर पर उल्लेखनीय बिन्दु</u>** :–

1. जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है व्यय उसी मद में ही किया जावे।
2. व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
3. राशि का उपयोग योजना के दिशा–निर्देशों, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की गाईड लाईन एवं लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

(अनुपमा जोरवाल)
राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

क्रमांक : रास्कूशिप/जय/आईईडी/2025–26/ Transport Allowance/ **दिनांक : यथा हस्ताक्षर**

प्रतिलिपि :–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
6. अति. राज्य परियोजना निदेशक, (I & II) राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
8. उपायुक्त (प्लान एवं शाला दर्पण), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
9. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को पालनार्थ।
10. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को पालनार्थ।
11. रक्षित पत्रावली।

राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

RajKaj Ref No.: 15481245

Samagra Shiksha / समग्र शिक्षा

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

परिवहन भत्ता हेतु आवेदन पत्र

फोटो मय प्रमाणीकरण

1. नाम छात्र/छात्रा...लिंग.......................
2. पिता का नाम...मोबाइल..............................
3. जन्म तिथि...कक्षा..
4. स्थानीय पूर्ण पता...
5. एस.आर. न0..दोष का प्रकार एवं प्रतिशत...............................
6. पीईईओ/यूसीईईओ..ब्लॉक..
7. विद्यालय...डाईस कोड़..
8. आधार कार्ड नम्बर...जनआधार नं......................................
9. खाता संख्या छात्र/छात्रा...IFSC Code...................................
10. बैंक का नाम...
11. वाहन का प्रकार (यदि कोई हो) जिससे विद्यालय आने व जाने की व्यवस्था की जा सकती है।
12. क्या अन्य पात्र बच्चों के साथ वाहन का साझा उपयोग हो सकता है। यदि हाँ, तो बच्चों का नाम...
13. क्या छात्र/छात्रा घर से विद्यालय तक अकेले आने में असमर्थ है ? यदि हाँ, तो कारण व किसके द्वारा विद्यालय तक लाया एवं ले जाया जाता है
....
....

हस्ताक्षर अभिभावक **ह0 छात्र/छात्रा**

संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त समस्त तथ्य मेरी जानकारी में सत्य है एवं छात्र/छात्रा.. उक्त विद्यालय की कक्षा.........................में अध्ययनरत है तथा उक्त छात्र/छात्रा को ₹..............................प्रतिमाह परिवहन भत्ता प्रदान किए जाने की अनुशंषा की जाती है।

हस्ताक्षर
प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य
मोहर सहित

कार्यालय उपयोग हेतु

उक्त समस्त तथ्यों की जांच के पश्चात् छात्र–छात्राओं.. पुत्र/पुत्री श्री..विद्यालय...को परिवहन भत्ता ₹.............................. प्रतिमाह दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

हस्ताक्षर
नाम पद सहित............

RajKaj Ref No.: 15481245

INCLUSIVE EDUCATION 2025-26

Transport Allowance (Rs. 300/ per Month for 10 Months)					
S.N.	**Name of District**	**PHY. (ELE.)**	**FIN.**	**PHY.(SEC.)**	**FIN.**
1	AJMER	800	24.000	400	12.000
2	ALWAR	750	22.500	350	10.500
3	BALOTARA	750	22.500	150	4.500
4	BANSWARA	152	4.560	250	7.500
5	BARAN	450	13.500	250	7.500
6	BARMER	935	28.050	250	7.500
7	BEAWAR	320	9.600	150	4.500
8	BHARATPUR	600	18.000	350	10.500
9	BHILWARA	1000	30.000	450	13.500
10	BIKANER	470	14.100	270	8.100
11	BUNDI	350	10.500	200	6.000
12	CHITTAURGARH	600	18.000	220	6.600
13	CHURU	740	22.200	290	8.700
14	DAUSA	475	14.250	260	7.800
15	DEEG	450	13.500	200	6.000
16	DHAULPUR	450	13.500	200	6.000
17	DIDWANA-KUCHAMAN	475	14.250	340	10.200
18	DUNGARPUR	310	9.300	160	4.800
19	GANGANAGAR	1210	36.300	550	16.500
20	HANUMANGARH	925	27.750	284	8.520
21	JAIPUR	1160	34.800	603	18.090
22	JAISALMER	190	5.700	80	2.400
23	JALOR	400	12.000	280	8.400
24	JHALAWAR	800	24.000	350	10.500
25	JHUNJHUNU	550	16.500	200	6.000
26	JODHPUR	600	18.000	300	9.000
27	KARAULI	250	7.500	240	7.200
28	KHAIRTHAL-TIJARA	350	10.500	130	3.900
29	KOTA	400	12.000	120	3.600
30	KOTPUTLI-BEHROR	290	8.700	150	4.500
31	NAGAUR	480	14.400	300	9.000
32	PALI	450	13.500	250	7.500
33	PHALODI	100	3.000	80	2.400
34	PRATAPGARH (RAJ.)	165	4.950	75	2.250
35	RAJSAMAND	575	17.250	205	6.150
36	SALUMBAR	195	5.850	120	3.600
37	SAWAI MADHOPUR	505	15.150	166	4.980
38	SIKAR	470	14.100	320	9.600
39	SIROHI	407	12.210	300	9.000
40	TONK	300	9.000	150	4.500
41	UDAIPUR	805	24.150	330	9.900
	Total	**21654**	**649.620**	**10323**	**309.690**

Signature Not Verified

Digitally Signed by Anupama Jorwal
Designation : State Project Director
Date :12-06-2025 10:17:38

RajKaj Ref No.: 15481245